



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052023-245953  
CG-DL-E-19052023-245953

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2134]  
No. 2134]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 19, 2023/वैशाख 29, 1945  
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 19, 2023/VAISAKHA 29, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2023

का.आ. 2228(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 9) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 18 मई, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के उपबंध प्रवृत्त होंगे :-

क्रम संख्या	धाराएं
(1)	धारा 1 से धारा 5 तक (दोनों सहित) ;
(2)	धारा 9 से धारा 11 तक (दोनों सहित) ;
(3)	धारा 13 से धारा 18 तक (दोनों सहित) ;
(4)	धारा 19 (खंड च के सिवाय) ;
(5)	धारा 25 से धारा 27 तक (दोनों सहित) ;
(6)	धारा 29 ;
(7)	धारा 31 से धारा 32 तक (दोनों सहित) ;
(8)	धारा 36 और धारा 37 ;

(9)	धारा 39 ;
(10)	धारा 41 से धारा 44 तक (दोनों सहित) ;
(11)	धारा 45 ( धारा 64ख सिवाय) ;

[फा. सं.सीओएमपी- 05/04/2023- सीओएमपी-एमसीए]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2023

**S.O. 2228(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Competition (Amendment) Act, 2023 (9 of 2023), the Central Government hereby appoints the 18<sup>th</sup> day of May, 2023 as the date on which the provisions of the following sections of the said Act shall come into force, namely:-

Serial Number	Sections
(1)	Sections 1 to 5 (both inclusive);
(2)	Sections 9 to 11 (both inclusive);
(3)	Sections 13 to 18 (both inclusive);
(4)	Section 19 (except clause f);
(5)	Sections 25 to 27 (both inclusive);
(6)	Section 29;
(7)	Sections 31 to 32 (both inclusive);
(8)	Sections 36 and 37;
(9)	Section 39;
(10)	Sections 41 to 44 (both inclusive);
(11)	Section 45 (except 64B).

[F. No. Comp-05/4/2023-Comp-MCA]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.